न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. प्रकाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र मदन लाल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल
निवासी- हनुमान गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- लक्ष्मी किराणा स्टोर, रोहिडा रोड, सरुपगंज, तह. पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

2. चम्पालाल, घांचियों का वास, वार्ड-11 बाली, जिला- पाली
(खाद्यकारोबारकर्ता व सप्लायर)

फर्म:- ललित कुमार भंवरलाल, मैन बाजार, सुमेरपुर, जिला- पाली

3. नरेश कुमार जेठवानी पुत्र बृज लाल, शारदा सोसायटी, वरसैया, हरनी सिंह रोड, वडोदरा (गुजरात)- 390006 (नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्म:- Shivam Protein Products Pvt.Ltd. At&Post-Fartikui,
Taluka- dabhio, Dist. Vadodora, Gujrat-391110

4- Shivam Protein Products Pvt.Ltd. At&Post-Fartikui,
Taluka- dabhio, Dist. Vadodora, Gujrat-391110
जरिये नॉमिनी नरेश कुमार जेठवानी (प्रतिवादी संख्या-3)

प्रकरण संख्या: 23/2017

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 54 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवडा, प्रतिवादी संख्या- 2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, प्रतिवादी संख्या- 3 व 4 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 10 नवम्बर, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 26.7.2017 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.8.2016 को फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, रोहिडा रोड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति प्रकाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र मदन लाल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- हनुमान गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही है एवं लक्ष्मी किराणा स्टोर पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता को अरहर दाल (Shivam Brand) का विक्रय करता है।

.....पेज दो पर

सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ अरहर दाल (Shivam Brand) एक सील्ड प्लास्टिक बैग क्षमता 25 किलो, दुकान में फर्श पर रखा हुआ था के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तथा सील्ड प्लास्टिक बैग को खोलकर उसमें मौजूद अरहर दाल (Shivam Brand) को हिला मिलाकर एकरुप किया व इस एक रुप की गई अरहर दाल में से चार किलोग्राम अरहर दाल को दुकान में मौजूद एक साफ सुथरे टब में खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/- अदा कर रसीद तैयार की। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षकराये एवं स्वयं मैने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या-5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। सप्लाई बिल प्राप्त किया, मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं. 5ए, सप्लाई बिल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को 4 साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक के कन्टेनर दिखाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा अरहर दाल (Shivam Brand) को चारों प्लास्टिक कंटेनरों में बराबर-बराबर भरा, ढ़क्कन से एयर टाईट बंद किया। चारों नमूना कंटेनरों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-653 को नियमानुसार नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल ने पढ़कर सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द रिपोर्ट संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया तथा मजबूत धागे से बांधकर सील चपड़ी किया तथा फार्म नं. 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.8.2016 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं.6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विशाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 29.8.2016 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को मैनें स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की

.....पेज तीन पर

सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested

जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ अरहर दाल (Shivam Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ अरहर दाल (Shivam Brand) का नमूना S-653 Food containing extraneous matter due to addition of edible oil पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति भिजवाई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुन: जांच का आवेदन फार्म नं. 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन पुन: जांच हेतु आवेदन प्राप्त नही हुआ। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थान आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा Food containing extraneous matter due to addition of edible oil की अरहर दाल दाल का निर्माण एवं विक्रय करने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 54 के तहत जुर्माने योग्य उपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा Food containing extraneous matter due to addition of edible oil खाद्य पदार्थ अरहर दाल (Shivam Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादीगण को जुर्माने से दण्डित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 (प्रकाशचन्द्र) की ओर से अधिवक्ता श्री फिरोज खान पठान व श्री अंशुमान सिंह राठौड का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवडा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या- 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से तथा प्रतिवादी संख्या- 3 व 4 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या- 3 व 4 की ओर से अलग-अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या-1 (प्रकाश चन्द्र अग्रवाल) की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या-1 (प्रकाश चन्द्र अग्रवाल) का जवाब बन्द किया गया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी संख्या-1 अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 2 के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के अधिवक्ता की

....पेज चार पर

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने प्रतिवादी संख्या-2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या-2 ने अरहर दाल (Shivam Brand) को मूल कम्पनी पैक अवस्था में खरीदा है एवं उसी अवस्था में विक्रय किया है। पैकिंग खाद्य सामग्री के लिये संबंधित निर्माता दोषी है, इससे प्रतिवादी संख्या-2 का कोई लेना देना नही है, इसलिये प्रतिवादी संख्या-2 के विरुद्ध यह कार्यवाही समाप्त करावे। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या- 3 व 4 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा पद में वर्णित अरहर दाल का सेम्पल कहां से लिया गया तथा किससे खरीद किया गया, कोई उल्लेख नही किया है। अरहर दाल का सेम्पल लेने का कथन गलत है। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 की फर्म से Toor Dal With Edilble oil का सेम्पल लिया गया था। न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित अनुसार अरहर दाल खरीद करने, सेम्पल को सीलबंद करने व फर्दो पर पढ़कर हस्ताक्षर करने का कथन अस्वीकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द गलत व विधि विरुद्ध बनाई गई है। प्रतिवादी संख्या- 3 व 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा सेम्पल Toor Dal With Edilble oil का प्राप्त किया गया है। Toor Dal दो प्रकार की होती है, जिसमें एक तेल लगी हुई तथा दुसरी बिना तेल लगीं हुई। सेम्पल लिये गये प्लास्टीक बैग पर लगे Ingredients की लिस्ट लगी हुई है, जिसके Contains में Toor Dal With & Edilble oil होना स्पष्ट अंकित किया गया है, जिससे यह न्याय निर्णयन आवेदन पोषणीय नही है। तुअर दाल में Edilble oil को Preservative के तौर पर सही डाला गया है, जो विधि अनुसार है तथा उसी दाल का सेम्पल लिया गया है जिससे Edilble oil होने से उक्त सेम्पल मानक के अनुसार नही होना कानूनन नही माना जा सकता है, जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सेम्पल को अमानक या मिथ्याछाप या असुरक्षित नही पाया गया है जिससे प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा लिये गये सेम्पल की जांच रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक से प्राप्त होने पर प्रतिवादी को धारा 46(4) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सेम्पल की दुबारा जांच हेतु कोई सूचना नही दी गई है, जिससे प्रतिवादीगण के सेम्पल की पुनः जांच करवाने के अधिकारों का हनन हुआ है, इस कारण यह प्रकरण कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.8.2016 को 4.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, रोहिडा रेाड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से प्रकाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- हनुमान गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो

....पेज पांच पर

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested

आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ अरहर दाल (शिवम ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, रोहिडा रोड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय के लिये रखे हुए खाद्य पदार्थ अरहर दाल (शिवम ब्राण्ड) के अमानक स्तर का होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री नवीन अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल, बस स्टेण्ड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही के समक्ष विक्रेता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 20011 के नियम 2.4.1(3) के तहत प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर दुकान में फर्श पर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ अरहर दाल (शिवम ब्राण्ड) के एक सील्ड प्लास्टिक बैग क्षमता 25 किलोग्राम को खोलकर उसमें मौजूद अरहर दाल को एकरुप कर इस एकरुप की हुई दाल में से चार किलोग्राम अरहर दाल (शिवम ब्राण्ड) को दुकान में मौजूद साफ सुथरे प्लास्टिक टब में खरीदी व उसकी कीमत राशि रुपये 600/- (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) विक्रेता को अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को 4 साफ, सूखें, खाली प्लास्टिक के कन्टेनर दिखाये एवं मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-653, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त विक्रेता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल व उक्त गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा अरहर दाल (शिवम ब्राण्ड) को चारों प्लास्टिक कन्टेनरों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा व चारों कंटेनरों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना कंटेनरों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-653 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पर विक्रेता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूनों भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल व गवाहान तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय की रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म मैसर्स लक्ष्मी

.....पेज छः पर

सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested

मति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

किराणा स्टोर, रोहिडा रोड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला-सिरोही में विक्रेता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र मदन लाल अग्रवाल, जाति-अग्रवाल, निवासी- हनुमान गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही से खाद्य पदार्थ अरहर दाल (शिवम ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों पैक पैकेटो के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग से बंद कर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.8.2016 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को विश्लेषण जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 29.8.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ अरहर दाल अर्थात् तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-653 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1031/Act/2016/1095 दिनांक 14.9.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, रोहिडा रोड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में विक्रेता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र मदन लाल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- हनुमान गली, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही से वास्ते जांच कय किया गया। खाद्य पदार्थ अरहर दाल अर्थात तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) का नमूना Food containing extraneous matter due to addition of edible oil पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 14.9.2016 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त अरहर दाल अर्थात् तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110, Gujrat है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ अरहर दाल अर्थात् तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के 25 किलोग्राम के सील्ड पैक बैग को खोलकर उसमें से 4 किलोग्राम अरहर दाल अर्थात् तुअर दाल (शिवगम ब्राण्ड) को वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (अभिहित अधिकारी) के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/1178-81 दिनांक 01.3.2017 से प्रतिवादी प्रकाश चन्द्र अग्रवाल व निर्माता/पैकर फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-

.....पेज सात पर

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Singh Malaviya
Date: 2020.12.30 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.

Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110, Gujrat को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील आवेदन प्रारुप-8 में 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रकाश चन्द्र अग्रवाल की फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, रोहिडा रोड, सरुपगंज ने वेट इनवोइस नम्बर 2954 दिनांक 16.5.2016 से उक्त खाद्य पदार्थ अरहर दाल अर्थात् तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) का 25 किलोग्राम के पैक्ड बैग को फर्म ललित कुमार भंवरलाल, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला- पाली से क्रय किया था जो प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म है। प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म ललित कुमार भंवरलाल, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला- पाली द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अरहर दाल अर्थात् तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के 25-25 किलोग्राम के पैक्ड बैग को फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110 से जरिये बिल नम्बर 119 दिनांक 27.4.2016 के द्वारा क्रय किया गया था जो उक्त खाद्य पदार्थ अरहर दाल अर्थात् तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता/पैकर फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110, Gujrat ने Food containing extraneous matter due to addition of edible oil खाद्य पदार्थ अरहर दाल अर्थात् तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-54 के तहत खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110, Gujrat पर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता/पैकर फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110, Gujrat के नॉमिनी श्री नरेश कुमार जेठवानी पुत्र बृज लाल, शारदा सोसाइटी, वरसैया, हरनी रिंग रोड, बडोदरा, गुजरात को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110, Gujrat पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

10/11/2020

(गितेश श्री मालवीया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested